प्रमाणपत्र क्रमांक **057437**

प्रारूप –8

नियम 7(2) देखिये

संख्या 5051 दिनांक 24/11/17

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रगाण–पत्र

पंजीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
1695	**जी–60724**	**2017-2018**

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि * **देवस्थली समिति, 5/856, उमानगर नजदीक शंकर मैरेज हाल, तहसील– सदर, जनपद– देवरिया** को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है । यह प्रमाण–पत्र **23-11-2022** तक विधि मान्य होगा ।

आज दिनांक **24 - 11** दो हजार **17** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

24/11/17

*सोसाइटी का नाम, पता

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 1 सो० फर्म एवं चिट्स 21 11 2014 (1373) 2,00,000 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

सेवा में,

सहायक रजिस्टार

फर्म्स सोसायटी एंव चिट्स

गोरखपुर ।

विषयः- संस्था का पंजीयन करचाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं प्रार्थिनी अपनी संस्था **देवस्थली समिति 5/856,उमानगर नजदीक शंकर मैरेज हाल तहसील सदर जनपद देवरिया** नामक संस्था का पंजीयन करवाना चाहता हूं । जिससे सम्बन्धित प्रपत्र तैयार करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि निर्धारित शुल्क जमा करके पंजीयन करने की कृपा करें।

संलग्नकः-

1.स्मृति-पत्र,नियमावली

2.नोटरी शपथ पत्र

3.पहचान पत्र की छायाप्रति

प्राप्तकर्ता
कार्यालय
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

प्रार्थिनी

रेणुका तिवारी

रेनुका तिवारी/अध्यक्ष

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नामः- :: द्वेवस्थली समिति ।
2. संस्था का पूरा पताः- :: 5/856,उमानगर नजदीक शंकर मैरेज हाल तहसील सदर जंनपद देवरिया ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्रः- :: सम्पूर्ण उत्तर-प्रदेश ।
4. संस्था का स्वरूपः- :: शैक्षणिक/सामाजिक कार्य ।
5. संस्था का मुख्य उद्देश्यः-

1. संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी,अंग्रेजी,विज्ञान,वाणिज्य व अन्य विषयों तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना,प्ले वे,प्राईमरी,से लेकर जू0 हाई स्कूल,हाई स्कूल,इण्टरमीडिएट व उच्च स्तर तक के विद्यालय,महाविद्यालय,कन्या विद्यालय,अंग्रेजी माध्यम कें विद्यालय,वू0पी0 बोर्ड माध्यम के विद्यालय,सी0बी0एस0ई0 माध्यम के विद्यालय,आई0सी0एस0ई0 माध्यम विद्यालय, निःशुल्क चिकित्सालय खोलना व संचालित करना ।
2. सामाजिक विकास सम्बन्धी समस्त कार्यों का संचालन करना ।

अन्य उद्देश्यः-

1.. संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी,अंग्रेजी,विज्ञान,वाणिज्य व अन्य विषयों तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना,प्ले वे,प्राईमरी,से लेकर जू0 हाई स्कूल,हाई स्कूल,इण्टरमीडिएट व उच्च स्तर तक के विद्यालय,महाविद्यालय,कन्या विद्यालय,अंग्रेजी माध्यम कें विद्यालय यू0पी0 बोर्ड माध्यम के विद्यालय,सी0बी0एस0ई0 माध्यम विद्यालय,आई0सी0एस0ई0 माध्यम के विद्यालय,निःशुल्क चिकित्सालय खोलना व संचालित करना।

4. समाज के अल्पसंख्यक,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग की बालिकाओं/महिलाओं को सिलाई,कढ़ाई,बुनाई,पेन्टिग,ब्यूटी पार्लर,फैशन डिजाईनिंग,फल संरक्षण,रेक्सीनकला,गृहं सज्जा,अचार,मुरब्बा,चटनी बनाने व कम्प्यूटर तकनीकी का प्रशिक्षण देना ।

5. खादी ग्रामोद्योग,खादी कमीशन बोर्ड,हथकरघा,हस्तशिल्प कला,चमड़ा उद्योग से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना,तथा समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना ।

6. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा,पेयजल,नाली,सीवर की निःशुल्क व्यवस्था करना व मलीन बस्तियों की सफाई के कार्यो मे सहयोग करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का निःशुल्क प्रचार-प्रसार करना व हौम्योपैथ के बारे मे जानकारी देना व हौम्योपैथ चिकित्सालय के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराना व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्य करना ।

6. संस्था के माध्यम से अनुसूचित जाति,अनूसूचित जनजाति,पिछडी जाति,अल्पसंख्यक एवं निर्बल और निम्न आर्य वर्ग हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी कराने का प्रयास करना ।

7. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा,शिक्षा गारन्टी योजना के बारे में लोगों को ज्ञान करवाना व शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना ।

रेणुका तिवारी

Vivek

Madhuresh Kumar

Dheeraj Tripathi

सुनीता कुमारी

Swati Dwivedi

8. दिव्यांग,शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलागों हेतु कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना तथा रहने हेतु निःशुल्क आश्रम बनवाना ।

9. विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना व निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करने का प्रयास करना ।

10. बालश्रम विद्यालय,पुस्तकालय,वाचनालय का प्रबन्ध करना व बालक/बालिकाओं के लिए हास्टल का प्रबन्ध करना ।

11. संस्था के माध्यम से शासन से पूर्व अनुमति लेकर रोजगार परक मिनी आई.टी,आई खोलना व संचालित करना एवं रोजगार के साधन उपलब्ध कराना ।

12. जीविका के प्रमुख स्रोत कृषि के स्थायित्व के लिए कृषि तंत्र को विकसित करना तथा प्राकृतिक संसाधन जल,जंगल,जमीन की रक्षा एवं सम्बर्धन करना,कषि पर आधारित लघु एवं कुटीर डद्योगों व विपणन की व्यवस्था करना व चलाना।

13. औषधि कार्यों के लिए जड़ी-बुटियों,जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देना व जैविक खाद विस्तार कार्यक्रमों के द्वारा जैविक खेती की जानकारी देकर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना व औषधिय पौधों का रोपड़ एवं संरक्षण करना ।

14. संस्था के माध्यम से पविार कल्याण सम्बन्धी कार्य्रो का संचालन करना व लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना व योग के माध्यम से,प्राकृतिक चिकित्सा,आयुर्वेद व होम्योपैथ के बारे जानकारी कराने का प्रयास करना व रोगियों को लाने व ले जाने हेतु एम्बुलेन्स की व्यवस्था कराना ।

15. संस्था के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में योग्य एवं अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी टीकाकरण सम्बन्धी कार्यों व निःशुल्क चिकित्सा शिविर,रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना व सरकार द्वारा चलायी जा रही स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करना व पल्स पोलियो,एड्स,मलेरिया,मस्तिष्क ज्वर,हैजा,मलेरिया,टी.वी जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम का प्रयास करना ।

16. जल संरक्षण,जल संचयन,जलचक्र व जल संसाधन तथा स्वजलधारा से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना तथा जल प्रदुषण के खिलाफ राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय संगोष्ठी शोध केन्द्रों,नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना एवं जल संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करना ।

17. संस्था के माध्यम से भेड़,बकरी,मुर्गी पालन को बढ़ावा देना व पशुओं के रहने के लिए पशुवाड़ा की स्थापना करना व दुग्ध डेयरी का संचालन व विस्तार करना ।

18. उद्यान एव खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना ।

19. शासन,प्रशासन के सहयोग से नाली,सीवर,खड़जा,पार्क,पुलिया बनवाना व स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना ।

रेणुका तिवारी

Vivek

Madhuresh kumar

Dheeraj Tripathi

सुनीता कुमारी

Swati Dwivedi

20. निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं को निःशुल्क छात्रावास व पुस्तकालय का प्रबन्ध करना ।

21. मानव संसाधन विकास मंत्रालय,सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय,युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय,श्रम मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों तथा उ0प्र0 सरकार,भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारों व विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देना ।

22. दहेज प्रथा,अंध विश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना ।

23. बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ,आई.एल.ओ.यूनोडो,सिडवी,नवार्ड,कपार्ट, यूनिफेम एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करना व संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना ।

24. महिला उत्पीड़न,शोषण,अत्याचार की रोकथाम शासन के सहयोग से करना ।

25. विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना,विद्यालय,आश्रम पद्वित विद्यालय व आवासीय/अनावासीय विद्यालयों व शोध केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना करना ।

26. आम जनता के उपयोग के लिए धर्मार्थ कम्यूनिटी हाल,बारात घर,महिला आश्रम अनाथालय,प्याऊ,धमार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियों,रात्रि निवास,शार्ट स्टे होम,मूक बधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना ।

27. बालिकाओं/महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम हेतु बालिकाओं/ महिलाओं को आवश्यक जानकारी देना व अविवाहित माता,विधवा,पारिवारिक हिंसा, दहेज प्रथा,दहेज पीड़ित से ग्रस्त को मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब,असहाय लड़कियों की शादी करवाना व सामूहिक विवाहों का आयोजन करवाना व नारी सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यो का प्रचार-प्रसार करना ।

28. प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित सामाग्रियों का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्वति विकसित करना व पर्यावरण नियन्त्रण हेतु कार्य करना ।

29. वन सम्पदा के दोहन को रोकने के लिए प्रोत्साहित करना व पर्यावरण के गुणों के बारे में जानकारी देना व प्रदुषण नियन्त्रण हेतु प्रयास करना ।

30. गौशाला खुलवा कर पशुपक्षियों की सेवा करना व जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ कार्य करना ।

31. दैवी आपदा,बाढ़,भूकम्प,सूखा,हैजा,प्लेग,महामारी व अन्य बीमारियों में शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन-साधारण की हर तरह से सहायता करना ।

32. खेलों को बढ़ावा देना,खेलों के प्रति गॉवों एवं शहरों में अभिरूचि पैदा करना व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना ।

33. संस्था के माध्यम से शासन से पूर्व अनुमति लेकरं नर्सिग कोर्स,टीचर्स ट्रेनिंग,इंजि0 कालेज,मेडिकल कालेज की स्थापना व संचालन करना ।

34. समान उद्देश्यों वाली तथा जिनसे उद्देश्यों में सहायता प्राप्त हो ऐसी सरकारी,गैर सरकारी,स्वंयसेवी संस्थाओं से सहयोग लेना एंव प्रदान करना ।

35. समिति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान,अध्ययन,शोध हेतु हर सम्भव उपायों से प्रचार-प्रसार करना ।

रेणुका तिवारी

Vivek

Madhuresh Kumar Dheeraj Tripathi सुनीता कुमारी Swati Dwivedi

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम/पिता का नाम पता पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के द्वारा नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया-

क0सं0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती रेनुका तिवारी पत्नी श्री चन्द्रमोहन तिवारी	वार्ड नं0-5,देवरिया रामनाथ जनपद देवरिया	अध्यक्ष	समाजसेविका
2.	श्री चन्द्रमोहन तिवारी पुत्र श्री लक्ष्मी मणि तिवारी	उमानगर नजदीक शंकर मैरेज हाल जनपद देवरिया	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री विवेक मणि पुत्र श्री चन्द्रमोहन तिवारी	46/1,ग्राउण्ड फ्लोर,17,क्रास 11,मेन,बी.टी.यम,सेकेन्ड,एस.टी.जी बंगलौर	मंत्री	,,
4.	श्री मधुरेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रमोहन तिवारी	म0नं0-5/856,उमानगर जनपद देवरिया	उपमंत्री	,,
5.	श्री धीरज मणि त्रिपाठी पुत्र श्री चन्द्रमोहन तिवारी	उपरोक्त	कोषाध्यक्ष	,,
6.	स्वाति द्विवेदी पुत्री श्री ईश्वर चन्द्र द्विवेदी	72,बिहाइन्ड,गुरूद्वारा,न्यू कालोनी वार्ड नं0-10,जनपद देवरिया	सदस्य	गृहकार्य
7.	श्रीमती सुनीता कुमारी पत्नी श्री सुशील कुमार त्रिवेदी	सन्धा खेमजी टोला पो0 सन्धा जनपद सारण,बिहार	सदस्य	

6. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति-पत्र नियमावली के अनुसार संस्था का रजि0 एक्ट सन् 1860 के अर्न्तगत सोसायटी का रजि0 करवाना चाहते हैं ।

दिनांक............

हस्ताक्षर

रेणुका तिवारी

रेणुका तिवारी

Vivek Madhuresh Kumar Dheeraj Tripathi सुनीता कुमारी Swati Dwivedi

नियमावली

1. संस्था का नामः- :: देवस्थली समिति ।

2. संस्था का पूरा पताः- :: 5/856,उमानगर नजदीक शंकर मैरेज हाल तहसील सदर जनपद देवरिया ।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तरं प्रदेश ।

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः-

आजीवन सदस्य-जो व्यक्ति इस संस्था को अपनी स्वेच्छा से 5001/रूपया नगद अथवा चेक के माध्यम से या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा ।

विशिष्ट सदस्यः-संस्था के प्रति हितैषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर संस्था को वार्षिक सहायता देने वाला व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेंगा ।

साधारण सदस्यः-जो व्यक्ति संस्था 251.00 नगद देता रहेगा वह संस्था का साधारण सदस्य माना जायेगा ।

5. सदस्यता की समाप्तिः-

निम्न परिस्थितियों में किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती हैं ।

1. मृत्यु होने पर ।
2. पागल अथवा दिवालिया होने पर ।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव रखने पर पारित होने पर ।
5. संस्था के सम्पति का अपव्यय करने पर ।
6. किसी न्यायालय में दण्डित होने पर ।
7. सदस्यता शुल्क न देने पर ।
8. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
9. पद का दुरूपयोग एवं वित्तिय अनियमितता करने पर ।

6. संस्था के अंग- अ- साधारण सभा ब-कार्यकारिणी समिति।

रेणुका तिवारी

7. साधारण सभा-

क- गठन-सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

ख- बैठक-साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती हैं ।

ग- सूचना-अवधि-
साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी ।

Vivek

....2 पर

Madhuresh Kumar   Dhananjay Tripathi   सुनीता कुमारी   Swati Dwivedi

घ- **गणपूर्ति**-साधारण सभा की गणपूति कुल सदस्यों में से 2/3 होगा।

ड.- वार्षिक अधिवेशन की तिथि-
संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार होगा।

च- साधारण सभा के कर्तव्य-

1. कार्यकारिणी समिति का गठन करना।
2. कार्यकारिणी समिति द्वारा किया गया गत वर्षों का आय-व्यय स्वीकृत करना तथा आगामी वर्ष के लिए व्यय की संस्तुति प्रदान करना ।
3. आय-व्यय निरीक्षण के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करना ।
4. संस्था के पूर्ण अभिलेखों पर अधिकार रखना।
5. सदस्यो के त्याग-पत्र स्वीकृत करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ।

8. कार्यकारिणी समिति-

क- गठन-कार्यकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 05 पदाधिकारी व 02 सदस्य होगें कुल संख्या 07 की होगी ।

ख- बैठक- कार्यकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक 24 घंटे पूर्व बुलाई जा सकती है।

ग- सूचना-अवधि- कार्यकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

घ- गणपूर्ति- कार्यकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

ड.- रिक्त स्थानों की पूर्ति- किसी भी रिक्त स्थानों की साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी ।

9. कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य-

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना ।
2. संस्था की वार्षिक बजट तैयार करना ।
3. संस्था .का वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं,खादी ग्रामोद्योग/राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था,व्यक्ति/व्यक्तियों,विदेशी संगठनों,से चन्दा,दान, उपहार ऋण व अनुदान प्राप्त करना ।
5. कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन व संशोधन किया जा सकता हैं ।
6. संस्था की चल-अचल सम्पत्ति के क्रय का अधिकार सर्वसम्मति से अध्यक्ष को होगा ।
7. शिक्षा सम्बन्धी (विद्यालय) व सामाजिक कार्यो का संचालन करना ।

कार्यकाल- कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 वर्ष का होगा ।

...णुका तिवारी

Vivek

Madhuresh Kumar   Dheeraj Tripathi   सुनीता कुमारी   Swati Dwivedi

प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य-

अध्यक्षः-

1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2. बैठकों को बुलाना व अनुमोदन करना ।
3. बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना ।
4. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना ।
5. संस्था से चन्दा लेना व उसकी रसीद काटकर देने का अधिकार अध्यक्ष को होगा अध्यक्ष द्वारा जारी की गई रसीद ही मान्य होगी ।
6. शिक्षा सम्बन्धी (विद्यालय) व सामाजिक कार्यों का संचालन व देखरेख करना ।
7. समस्त अभिलेखों व प्रपत्रों को सुरक्षित रखना ।
8. समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रो को चेक करना ।
9. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना ।
10. संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही का अधिकार अध्यक्ष को होगा ।
11. संस्था से प्राप्त धन को संस्था के हित में खर्च करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा ।
12. सदस्यों के नामाकंन पत्र पर विचार करना ।
13. आवश्यकता पड़ने पर संस्था के कार्यों/लेखों की जॅाच करना ।
14. संस्था की चल-अचल सम्पत्ति की देखभाल करना ।
15. वार्षिक बजट तैयार करना ।
16. कार्यवाहियों को चेक करना ।

उपाध्यक्षः-

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये समस्त अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वहन करना।
2. अध्यक्ष के कार्यो में सहयोग करना ।

मंत्रीः-

1. बैठकों की स्थान दिनांक व समय निर्धारित करना ।
2. बैठकों की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना ।
3. संस्था की तरक्की का हर सम्भव प्रयास करना ।
4. सांस्कृतिक कार्यक्रमों,राष्ट्रीय पर्व,धर्मार्थ कार्यों का आयोजन करवाना ।
5. आय व्यय का लेखा जोखा साधारण सभा में प्रस्तुत करना ।
6. संस्था के संगठन को मजबूत करना ।
7. संस्था में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होने पर उसे सुलझाने का प्रयास करना ।

उपमंत्रीः-

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री द्वारा सौंपे गये समस्त अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वहन करना ।

कोषाध्यक्षः-

1. संस्था के लिए धन एकत्रित करना ।
2. संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0 आ0 में संस्था के नाम से जमा करवाना ।
3. आय-व्यय का लेखा जोखा रखना ।
4. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार कर अध्यक्ष से प्रमाणित करवाना ।

रेणुका तिवारी

Madhvesh Kumar Dheeraj Tripathi सुनीता कुमारी Swati Dwivedi

11. संस्था के नियमों एंव विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-
संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किया जावेगा।

12. संस्था का कोष-
संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से खोला जायेगा जिसके संचालन के लिए अध्यक्ष व मंत्री दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से होनां अनिवार्य होगा ।

13. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण {आडिट}
संस्था के वर्ष भर के आय-व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व-
अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व होने वाले मुकदमें अपने जनपदीय न्यायालय में सुलझाये जायेगें एवं समस्त मुकदमों,वाद-प्रतिवादों की पैरवी अध्यक्ष द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख-
1.सदस्यता रजिस्टर 2.कार्यवांही रजिस्टर 3 सूचना रजिस्टर 4.स्टाक रजिस्टर 5 कैश बुक ।

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजि0 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक-----------

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर-
रेणुका तिवारी

रेणुका तिवारी

Vivek

Madhuresh Kumar

Dhwaj Tripathi

सुनीता कुमारी

Swati Dwivedi

प्रारूप–9
नियम 8(2) देखिये

संख्या – 867

दिनांक 10/6/25

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीनीकरण संख्या– 152/2025–26 पत्रावली संख्या जी–60724

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता हैं कि **देवस्थली समिति, 5/856, उमानगर नजदीक शंकर मैरेज हाल, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया, उ0 प्र0,** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या–**1695/2017–2018** दिनांक **24/11/2017** को दिनांक **24/11/2022** से पॉच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया हैं।

3600.00 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी हैं।

जारी करने का दिनांक–**10.06.2025**

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश

10/6/25

नोट–यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक , प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध, व्यक्ति के किसी दावे, अधिकार , अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।